मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./5868/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/10 भोपाल दिनांक 09.06.10

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला–बालाघाट,सतना, सिवनी, उमरिया, राजगढ़,
दमोह, पन्ना, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन,
सागर, जबलपुर एवं नरसिंहपुर (म0प्र0)

विषयः लेखापाल की संविदा नियुक्ति विषयक।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 में प्रावधानित ग्रामीण सड़क के सम्पर्कता के अंतर्गत अभिसरण (Convergence) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बसाहटों को ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना के तहत वर्ष 2013 तक जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन के परिपत्र क्रं 2998/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/एनआर–3/2010 दिनांक 27.03.2010 के द्वारा ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना कियान्वयन के निर्देश सभी जिलों को जारी किये है। इस योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2013 तक कुल 19386 कि.मी. लंबाई की सड़कें निर्मित की जाना है। 14 जिलों में प्रस्तावित मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन किया गया है।

यह कार्य राज्य शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल किया गया है,जिसे चरणबद्व तरीके से निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संपादित किया जाना है।

उक्त योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मापदण्डों के अनुरूप विभागीय अमले से एक निश्चित समय–सीमा में कराया जाना है। प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में एक–एक पद लेखापाल का संविदा पर सृजन किया गया है।

2. **लेखापाल की उपयोगिता :–**

लेखापाल ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त राशि, व्यय राशि आदि के लेखांकन कार्यों को सम्पादित करेगा। लेखापाल पूर्णकालिक रूप से ग्रामीण सड़क योजना के लेखाकार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत लेखापाल की बैठक व्यवस्था भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रमांक 02 के कार्यालय में होगी। प्रशासनिक नियंत्रण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रमांक 02 का रहेगा, तथा मासिक संविदा पारिश्रमिक का भुगतान कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जावेगा।

3. [illegible]:–

प्रायोगिक तौर पर प्रथम चरण में उन 14 जिलों मे जहां 500 कि.मी. से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण होना है, में प्रत्येक जिले में लेखापाल के एक–एक पद प्रति जिला के मान से संविदा नियुक्ति की जा रही है।

4. **आरक्षणः–**

लेखापाल के एक–एक पद पूर्व से ही प्रत्येक जिला पंचायत में स्वीकृत हैं। ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना के 14 पद शामिल करते हुए नवीन रोस्टर राज्य स्तर पर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक जिले को वर्गवार विभाजित किया गया है। अतः निम्नानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेः–

क्रमांक	जिले का नाम	चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थी का वर्ग का नाम
1	बालाघाट	अनुसूचित जनजाति
2	सतना	अनारक्षित
3	सिवनी	अनुसूचित जनजाति
4	उमरिया	अनुसूचित जनजाति
5	राजगढ़	अनारक्षित
6	दमोह	अनुसूचित जाति
7	पन्ना	अनुसूचित जाति
8	छिंदवाड़ा	अनुसूचित जनजाति
9	होशंगाबाद	अनारक्षित
10	विदिशा	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	रायसेन	अन्य पिछड़ा वर्ग
12	सागर	अनुसूचित जाति
13	जबलपुर	अनारक्षित
14	नरसिंहपुर	अनारक्षित

5. **आयुः–**

दिनांक 01.06.2010 को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. **शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव :–**

6.1 आवेदक को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए (फायनेंस) अथवा एम कॉम, शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में पीजीडीसीए/

डोसीए/ पोलिटेक्निक डिप्लोमा, DOEEAC Level प्रमाण पत्र एवं एकाउंट टेली का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

6.2 यदि आवेदक एम कॉम एवं एमबीए फायनेंस, दोनों योग्यता रखता है तो अधिक अंक प्राप्त करने वाली डिग्री के आधार पर अंकों की गणना की जावेगी। यदि आवेदक उक्त स्नातकोत्तर डिग्री से अधिक शैक्षणिक योग्यता (जैसे एम.फिल., पीएचडी) रखता है तो उसे दस अतिरिक्त अंक दिए जावेगी।

6.3 किसी शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम/आयोग/फर्म अथवा अशासकीय संस्था से संबंधित लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। अशासकीय संस्था की स्थिति में रूपये 3 करोड़ वार्षिक टर्न ओव्हर होना आवश्यक है। संस्था से जारी प्रमाण–पत्र में वार्षिक टर्न ओव्हर का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। टर्न ओव्हर उसी वर्ष का मान्य किया जावे जिस वर्षों में अभ्यर्थी ने कार्य किया हो।

7. **साक्षात्कार समितिः**

प्रत्येक जिले में साक्षात्कार समिति का गठन जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 के द्वारा किया जायेगा। समिति में निम्न सदस्य होंगेः–

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक–अध्यक्ष
- जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो डिप्टी कलेक्टर के पद से अन्यून स्तर का न हो–सदस्य
- जिला कोषालय अधिकारी–सदस्य
- लेखाधिकारी (मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी) जिला पंचायत –सदस्य
- कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा–सदस्य
- यदि उक्त समिति में अनुसूचित जाति/अनु जनजाति वर्ग का कोई सदस्य न हो तो जिला कलेक्टर द्वारा उक्त वर्ग का एक अधिकारी नामांकित किया जावेगा।

8. **चयन प्रक्रियाः–**

8.1 चयन के लिए सम्पूर्ण कार्यवाही जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा की जावेगी।

8.2 आवेदन पत्र कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा आमंत्रित किये जावेंगे। आवेदनों की छटनी, साक्षात्कार का आयोजन, आवेदकों को सूचना पत्र जारी करना, अंतिम परिणाम तैयार करना आदि कार्य भी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जावेगा।

8.3 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आदि के उपरांत मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची का **नस्ती में अनुमोदन जिला कार्यक्रम समन्वयक से प्राप्त कर परिणामों की घोषणा की जावेगी।**

8.4 मैरिट सूची तथा प्रतीक्षा सूची को जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यालय में सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जावेगा। स्थानीय समाचार–पत्र में भी परिणाम की विज्ञप्ति दी जावेगी।

8.5 अभ्यर्थी के चयन उपरांत पदभार ग्रहण करने पर संविदा शर्तों का अनुबंध जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अभ्यर्थी के मध्य कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहयोग से कराया जावेगा।

8.6 लेखापाल की नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर दो वर्ष के लिए की जावेगी। संविदा की अवधि अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नान्य होंगी।

8.7 अभ्यर्थी की नियुक्ति उपरांत उनके अनुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन आवश्यक रूप से कराया जावे। यदि सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी पाई जाती है तो संविदा नियुक्ति निरस्त कर दी जावे।

88 संविदा हेतु नियुक्ति की शर्तें एवं अनुबंध पत्र का प्रारूप संलग्न है।

9. **अंकों का वितरणः–**

9.1 अभ्यर्थी के चयन हेतु अधिकतम 100 अंक रखे गये हैं। अंकों का वितरण निम्नानुसार होगाः–

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता–70 अंक
- अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (एम फिल/पीएचडी)–10 अंक
- अनुभव– 10 अंक
- साक्षात्कार–10 अंक

9.2 अनुभव के अंक निम्नानुसार होंगे :–

- न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव– 0 अंक
- दो वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्ष से कम –02 अंक
- तीन वर्ष अथवा तीन वर्ष से अधिक परंतु चार वर्ष से कम– 05 अंक
- चार वर्ष अथवा चार वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से कम –8 अंक
- पांच वर्ष अथवा पांच वर्ष से अधिक–10 अंक

9.3 साक्षात्कार समिति का प्रत्येक सदस्य 10–10 अंकों में से अभ्यर्थी को अंक प्रदान

करेगा। साक्षात्कार उपरांत सदस्यों के द्वारा दिये गये अंकों के योग के आधार पर औसत अंक की गणना कर अभ्यर्थी को वास्तविक अंक प्रदान किये जावेंगे।

9.4 **यदि किन्ही अभ्यर्थियों को एक समान अंक प्राप्त होते हैं, तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।**

10. मासिक संविदा पारिश्रमिकः–

10.1 लेखापाल के रूप में चयनित अभ्यर्थी को 4000–6000 के न्यूनतम पर मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ता जोड़कर भुगतान किया जावेगा। (जैसे–4000+2000 (मंहगाई वेतन 50%) + 2820 (मंहगाई भत्ता 47%) = Rs 8820 प्रतिमाह)। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत गठित सशक्त समिति मानदेय में वृद्वि कर सकेगी।

10.2 पदस्थ लेखापाल का नियमानुसार ईपीएफ कटौत्रा किया जावेगा तथा नियोक्ता द्वारा अंशदान भी किया जावेगा।

10.3 लेखापाल को परिषद द्वारा जारी समय–समय पर यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

10.4 जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह अधिकार होगा कि लेखापाल की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर संविदा अवधि समाप्त कर दी जावेगी।

11. संविदा अवधिः–

11.1 चयनित अभ्यार्थियों को संविदा सेवा शर्तों के अधीन 02 वर्ष हेतु अनुबंध किया जाकर संविदा नियुक्ति का आदेश जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना द्वारा जारी किया जावेगा। एक वर्ष उपरांत संतोषजनक कार्य पाये जाने पर संविदा अवधि पुनः एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता है, तो वह उतनी अवधि का जितनी की सेवा शेष है (अधिकतम 03 माह तथा न्यूनतम एक माह की राशि) उक्त बाण्ड में उल्लेखित धन राशि में से वसूली योग्य होगी/जमा कराना होगी।

11.2 यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जावेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही लेखापाल के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगी।

12 प्रशिक्षणः–

लेखापाल के रूप में चयनित अभ्यर्थियों को परिषद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्यतः उपस्थित होना होगा।

13. वित्तीय व्यवस्थाः–

लेखापाल का संविदा मासिक पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण इत्यादि पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 के प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगा।लेखापाल जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/प्रोजेक्ट मेनेजर, ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेंगे।

14. वार्षिक मूल्यांकन पत्रकः–

पदस्थ लेखापाल का वार्षिक मूल्यांकन पत्रक क्रमशः प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–आवेदन प्रारूप, आदेश प्रारूप, संविदा शर्तें, चैक लिस्ट।

9/6/10

(शिवशेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृष्ठा. क्रं 5869 /एनआरईजीएस–म0प्र0/स्था/एनआर–2/10 भोपाल, दिनांक 09.06.10

प्रतिलिपिः–

1. कमिश्नर, संभाग जबलपुर, रीवा, शहडोल, भोपाल, सागर, नर्मदापुरम, की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग–बालाघाट, सतना, सिवनी, उमरिया, राजगढ़, दमोह, पन्ना, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर एवं नरसिंहपुर मध्यप्रदेश।

9/6/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद

letteree
279 -

लेखापाल (संविदा) पद हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा सत्यापित आवेदक का नवीन फोटो चस्पा करें

1. पद नाम .....
2. आवेदक का नाम.....
3. आवेदक के पिता / पति का नाम.....
4. आवेदक का वर्तमान पता.....
5. आवेदक का स्थाई पता .....
6. दूरभाष कमांक .....
7. मोबाइल न. .....
8. (अ) जन्म तिथि– (अंको में).....
   (शब्दों में).....
   (ब) 1 जून 2010 को आयु– दिन .....माह.....वर्ष.....
9. जाति .....
   वर्ग : अनु.जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग /विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक,
   (प्रमाण पत्र सहित)
10. शारीरिक निशक्तता हॉ/नहीं। यदि हाँ, तो दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित/ मूकबधिर का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
11. क्या म.प्र. के स्थायी निवासी है :– हां/नहीं। यदि हां, तो गृह जिले का नाम .....

12 शैक्षणिक योग्यता

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि.	उत्तीर्ण करने / अनुभव का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	श्रेणी
1.	हाई स्कूल				
2.	हायर सेकेण्डरी (10+2)				
3.	एमकॉम / एमबीए फायनेंस				
4.	अन्यः– अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता जैसे– एमफिल / पीएचडी				

13 कार्य अनुभव/रोजगार का विस्तृत विवरणः

क्र.	कब से	कब तक	कंपनी	विभाग	संस्था	धारित पद	कार्य का विवरण	अंतिम वेतन

14. ऐसे दो व्यक्तियों का नाम/पता/टेलीफोन नं. जो आपके रिश्तेदार नहीं हो तथा जो आपके बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित कर सके। (अ).....(ब).....
.....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक को होंगे।

दिनाँक.....
स्थान.....

हस्ताक्षर

संलग्नः– (कृपया सामने वाले खाने में √ का निशान लगाये)

(1) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित । ☐

(2) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता जैसे–एमफिल/पीएचडी ☐

(3) जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि। ☐

कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला .....

क्र./ /एनआरईजीएस/10 दिनांक

: : आदेश : :

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ..... जिला ..... के अंतर्गत चयनित निम्न उम्मीदवार को लेखापाल के पद पर दर्शाई गई संविदा शर्तो पर उनके नाम के समक्ष में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र0	उम्मीदवार का नाम	विभाग	पदस्थापना का विवरण
1			.....

उपरोक्त उम्मीदवार को दिनांक ..... (7 दिवस की अवधि) के पूर्व ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना अंतर्गत पीएमयू कार्यालय जिला ..... के कार्यालय में पदभार ग्रहण करना होगा।

संविदा शर्ते :–

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश / संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू / बंधनकारी होंगे।
2. संविदा पर नियुक्त लेखापाल को ..... प्रतिमाह की दर से संविदा रकम देय होगी।
3. संबंधित रकम का भुगतान कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रशासनिक व्यय में से सीधे लेखापाल के बैंक खाते में जमा किया जावेगा। एक मुश्त संविदा रकम देय होगी (इसके अतिरिक्त अन्य ओर वेतन भत्ते आदि देय नहीं होंगे)।
4. संविदा पर नियुक्त लेखापाल का नियमानुसार ईपीएफ कटोत्रा काटा जावेगा तथा नियोक्ता द्वारा भी अंशदान किया जावेगा।
5. मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत गठित सशक्त समिति समय–समय पर संविदा रकम में वृद्वि कर सकेगी।
6. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
7. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के लिए रहेगी। कार्य संतोषजनक एवं कार्य की आवश्यकता होने पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक के पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर एक समय में अधिकतम 1 वर्ष के लिये संविदा का नवीनीकरण किया जावेगा।
8. यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जावेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही लेखापाल के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगी।

... नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता आई.टी.आई. का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाइं निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगें।

10. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों द्वारा शासित होगा।

12. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रुपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय चयनित उम्मीदवार द्वारा वहन किये जायेगें)। इस नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ही साथ चयनित उम्मीदवारों को उसकी 03 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बाण्ड भी भरकर कार्य पर उपस्थित होने के 7 दिन के भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस बाण्ड के आधार पर उम्मीदवार को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता हैं, तो वह उतनी अवधि का जितनो की सेवा शेष है (अधिकतम 03 माह तथा न्यूनतम एक माह की राशि) उक्त बाण्ड मे उल्लेखित धन राशि में से वसूली योग्य होगी/जमा कराना होगी।

13. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।

14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को शासन के नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

15. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 07 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

16. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

18. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अपने निर्धारित कार्य के साथ–साथ आवश्यकता पड़ने पर समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।

19. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

20. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना /जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

21. लेखापाल को परिषद द्वारा जारी समय–समय पर निर्देशानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

22. **दो वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।**

23. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता हैं, तो बिना कारण बताऐं नियुक्ति रद्द कर दी जावेंगी।

24. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सबधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी ।

25. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

26. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजना
जिला .....

दिनांक

पृ.क्र./ /एनआरईजीएस/10

प्रतिलिपि :–

1. कमिश्नर संभाग ..... की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ..... की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सबंधित ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजना
जिला .....

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।

2. संविदा पर नियुक्त लेखापाल को रूपये ..... प्रतिमाह की दर से संविदा रकम देय होगी।

3. संबंधित रकम का भुगतान कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रशासनिक व्यय में से सीधे लेखापाल के बैंक खाते में जमा किया जावेगा। एक मुश्त संविदा रकम देय होगी (इसके अतिरिक्त अन्य ओर वेतन भत्ते आदि देय नहीं होंगे)।

4. संविदा पर नियुक्त लेखापाल का नियमानुसार ईपीएफ कटोत्रा काटा जावेगा तथा नियोक्ता द्वारा भी अंशदान किया जावेगा।

5. मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत गठित सशक्त समिति समय-समय पर संविदा रकम में वृद्वि कर सकेगी।

6. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

7. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष के लिए रहेगी। कार्य संतोषजनक एवं कार्य की आवश्यकता होने पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक के पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर एक समय में अधिकतम 1 वर्ष के लिये संविदा का नवीनीकरण किया जावेगा।

8. यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जावेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही तकनीकी सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगो।

9. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता,आई.टी.आई. का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगें।

10. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों द्वारा शासित होगा।

12. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रुपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय चयनित उम्मीदवार द्वारा वहन किये जायेगें)। इस नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ही साथ चयनित उम्मीदवारों को उसकी 03 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बाण्ड भी भरकर कार्य पर उपस्थित होने के 7 दिन के भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस बाण्ड के आधार पर उम्मीदवार को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता हैं, तो वह उतनी अवधि का जितनी की सेवा शेष है (अधिकतम 03 माह

तथा न्यूनतम एक माह की राशि) उक्त बाण्ड में उल्लेखित धन राशि में से वसूली योग्य होगी/जमा कराना होगी।

13. **संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।**

14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को शासन के नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

15. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 07 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

16. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

18. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अपने निर्धारित कार्य के साथ–साथ आवश्यकता पड़ने पर समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।

19. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

20. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना /जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

21. लेखापाल को परिषद द्वारा जारी समय–समय पर निर्देशानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

22. एक वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।

23. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता हैं, तो बिना कारण बताऐं नियुक्ति रद्द कर दी जावेंगी।

24. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी ।

25. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

26. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

letteree
286 -